

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
30प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 12 जनवरी, 2026

विषय:राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत अयोध्या शहर में SYSTEM FOR DISSEMINATING INFORMATION TO THE PUBLIC AND INCREASING AWARENESS FOR CITIZEN AND TOURIST IN AYODHYA CITY" कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-110/2024/2646/नौ-9-2023-001-ई-1770405, दिनांक 04.01.2024 द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम, अयोध्या में SYSTEM FOR DISSEMINATING INFORMATION TO THE PUBLIC AND INCREASING AWARENESS FOR CITIZEN AND TOURIST IN AYODHYA CITY" कार्य हेतु धनराशि ₹0 795.72 लाख (रूपये सात करोड़ पचचानबे लाख बहतर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0 397.86 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तानबे लाख छियासी हजार मात्र) कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है।

2. नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या के पत्र दिनांक 19.12.2025 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, 30प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-4123/106(1)/SSCM/2021-22, दिनांक 20.12.2025 के माध्यम से संदर्भगत परियोजना की उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम अयोध्या में SYSTEM FOR DISSEMINATING INFORMATION TO THE PUBLIC AND INCREASING AWARENESS FOR CITIZEN AND TOURIST IN AYODHYA CITY" कार्य की अनुबंध लागत ₹0 758.25 लाख (जी0एस0टी0 सहित) के सापेक्ष द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में धनराशि ₹0 360.39 लाख (रूपया तीन करोड़ साठ लाख उन्तालीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित

कर रखी जायेगी तथा राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइन्स, 2019 के दिशा निर्देशों एवं शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतरित/व्यय की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च 2026 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त शासनादेश संख्या-110/2024/2546/नौ-9-2023-001-ई-1770405, दिनांक 04.01.2024 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय ₹ 360.39 लाख (रूपया तीन करोड़ साठ लाख उन्तालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
SANKAR KUMAR TIWARI
(संजय कुमार तिवारी)
Date: 12-01-2026
अनु सचिव।
39:29:50

संख्या-300 /2026/2324/नौ-9-2025-001-ई-1770405, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या।
4. राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, अयोध्या।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
10. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, अयोध्या।
12. वित्तग(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- ✓ 13. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।